

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No.01372252149

Email:-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 3284 / 121 गोपेश्वर, दिनांक

03/02 जनवरी 2025

सेवा में,
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती-जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.410 है० वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/30064/2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर- केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक संख्या 08/बी/यू०सी०पी०/०६/४/२०१८/एफ०सी०/२११९ दि० १०.१२.२०१९ एवं इस कार्यालय का पत्रांक संख्या ८७३/१सी० वन दिनांक २८.६.२०२४ एवं १५८५/१सी० वन दिनांक २३.१०.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि खेत गंधेरे से खेती-जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग पर विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना चॉही गई थी। जिसके अनुपालन में इस प्रभाग से सम्बन्धित सूचना तीन-तीन प्रतियों में निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	विन्दु संख्या	उत्तर
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक ०२.११.२०१८ द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम-जखेट के स्थान पर ग्राम-पिन्डवाली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML File को ऑनलाइन वेब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।	शर्त मान्य है क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम-जखेट के स्थान पर ग्राम-पिन्डवाली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड कर रु० ७८५८३५.०० की क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ साथ ही सभी दस्तावेजों को संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण ने अवगत कराया है कि ग्राम जखेट के स्थान पर ग्राम-पिन्डवाली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त Part-I में Edit का विकल्प न होने के कारण उक्त सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा सकी है। परन्तु उक्त सूचना सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त Uploaded Status of Land to be Transferred to Forest Department Under FCA (Mutation Details) में अपलोड की गई है। जिसे नोडल कार्यालय द्वारा २०.१०.२०१८ को सत्यापित किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संख्या 3284 / 121 दिनांकित।

अधिशाली अभियन्ता निर्माणखण्ड, लो० नि० वि० गौघर को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
(तरुण एस०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

(तरुण एस०)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक- 873 / 1 सी0 वन

दिनांक 28 / 06 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधरे से खेती-जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.410 है0 वनभूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(FP/UK/ROAD/30064/2017)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर- केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/4/2018/एफ0सी0/2119 दि0 10.1.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि खेत गधरे से खेती-जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग पर विधिवत् स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना चोही गई है। जो निम्नानुसार है-

क्र0स0	बिन्दु संख्या	उत्तर
1	राज्य सरकार के पत्र दिनांक 02.11.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम-जखेट के स्थान पर ग्राम-पिन्डवाली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑनलाइन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार CA scheme, ownership proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी साथ ही सभी दस्तावेजों तथा KML File को ऑनलाइन वैब पोर्टल के पैरा L के पार्ट I तथा पैरा 13 के पार्ट II पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।	Ownership Proof, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी खतौनी के दस्तावेज पूर्व में प्रेषित किये गये थे। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के पत्र संख्या 1212/FP/UK/ROAD /30064/2017 दिनांक 2.11.2018 द्वारा भारत सरकार को पूर्व ही प्रेषित है। जिस कारण सभी दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर 3-3 प्रतियों में पुनः संलग्न है। रु0 785835.00 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना आपके स्तर से प्रेषित की जानी है। ग्राम जखेट के स्थान पर ग्राम-पिन्डवाली सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त Part-I में Edit का विकल्प न होने के कारण उक्त सूचना ऑनलाइन वैब पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा सकी है। परन्तु उक्त सूचना सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त Uploaded Status of Land to be Transferred to Forest Department Under FCA (Mutation Details) में अपलोड की गई है। जिसे नोडल कार्यालय द्वारा 20.10.2018 को सत्यापित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु संलग्न दस्तावेज, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के दस्तावेज पार्ट-1।

में अपने स्तर से अपलोड कर (के0एम0एल0 फाईल ई-मेल द्वारा प्रेषित) एवं CA scheme मूल में उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें। संलग्न- उपरोक्तानुसार तीन-तीन प्रतियों में।

भवन
28/6/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक संख्या

/ 1 सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता तृतीय निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

— आदेश —

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती-जखेट-चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 1410 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2820 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

फाईल नं० 1518
दिनांक 29/09/18

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/04/2018/एफ०सी०/2131 दिनांक 07.03.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग-नौटी-किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती-जखेट-चौरासैण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण से प्रभावित होने वाली 1410 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम पिण्डवाली, प०वृ० देवलकोट, तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-71 के खसरा सं०-697 रकबा 7000 हे० भूमि मध्ये 2820 हे० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडर श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० मद्दोरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 836/छब्बीस- (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 26 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल जोड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैण/आदिबद्री।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बलीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, गोचर।

नं० 1518/04/18 दिनांक 29/09/18

आज्ञा प्राप्त संसाधन अभियन्ता निर्दिष्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा प्राप्त अभियन्ता को

जिलाधिकारी
चमोली।

29/9/18

नकल खतौनी ज०वि०रहित ग्राम दिण्डवाली
तहसील आदिवासी
श्रेणी-10(4) अन्य कारणों से आदिवासी भूमि।-

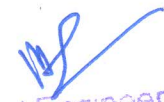
पटवारी क्षेत्र-देवलकर
जनपद-चमोली

फांट (खेवट) खाता की क्र०सं०	मुन्तिखिव (खतौनी) खाता नं०	खातेदार या काबिज का नाम पितृनाम तथा निवास स्थान	मुदत कारत या कब्जा	हाल खसरा नं०	क्षेत्रफल नाली/मुठी में	नामतोक	-
1	2	3	4	5	6	7	8, 21
1	71	मीरा	-	697	7.000	मुलाबिका डाकिडी सोआन उपायुक्त भूमि राज्य के खतौनी नाली नं० 697 खसरा 7.000 ई० माप 2.820 हेक्टर यह खतौनी नाली नं० 697 खसरा 7.000 ई० माप 2.820 हेक्टर 2011/12-13 (120) 2010/11-12 17 डिसेंबर 2012 के आदेशानुसार तब विभागा के नाम लाकारिका इस्तेमाल कर कामला दयाल-किशोर	
			योग	1	7.000		

नोट: नकल खतौनी असल से तैयार की गई है।


राजेंद्र सिंह निमित्त
पटवारी क्षेत्र
आदिवासी
मिदिनीकामोली
29.09.2018

कामला दयाल


Assistant Engineer
Division PWD
Chauhar (Chamoli)

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव का विवरण, जिनमें सिविल भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जाना है।

परियोजना का नाम	याचक विभाग का नाम	प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल हे०	भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या	दिनांक	वन भूमि के सापेक्ष ज्ञाने वाली सिविल सोपम भूमि का ग्राह्यार विवरण	पट्टी	ग्राम समूह	सिविल भूमि का खसरा नं०	सीमा विवरण							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1
विलेज डेविलेस विलेज-एरविले -एरविले मोहरमोह मर्दा मोहरमोह मर्दा	बालू निर्माण विभाग मोहरमोह मर्दा	1.410 हे० मी०	088/UPP/06/04/2018 FL 2131 दि० 7 मार्च 2018	7.3.2018	अपसरा न० 697 रकबा 7000 हे० मध्ये 2.820 हे० मी० परमि टि प्रारंभिक सार्वजनिक की मर्दा ग्राम पिण्डवाली केन्द्र	अपसरा	पिण्डवाली	697	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	सिविल सोपम रकबा सरकार की भूमि	वन विभाग की भूमि	सिविल सोपम रकबा सरकार की भूमि	पिण्डवाली मर्दा

13.09.2018

(Signature)
अपसरा विभाग

Assistant Engineer,
Division PWD
Cauchar (Chamoli)

(Signature)
अपसरा विभाग

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी- किरसाल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.050 हे० वन पंचायत भूमि, सिविल वन भूमि 0.210 हे० एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.150 कुल 1.410 हे० वन पंचायत भूमि /सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित 1.410 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पिण्डवाली के खसरा नं० 697 क्षेत्रफल 7.000 हे० मध्ये 2.820 हे० चयनित स्थल क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर रेंज
गौचर


प्रभारित वन क्षेत्राधिकारी
कदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर


सहायक अभियंता

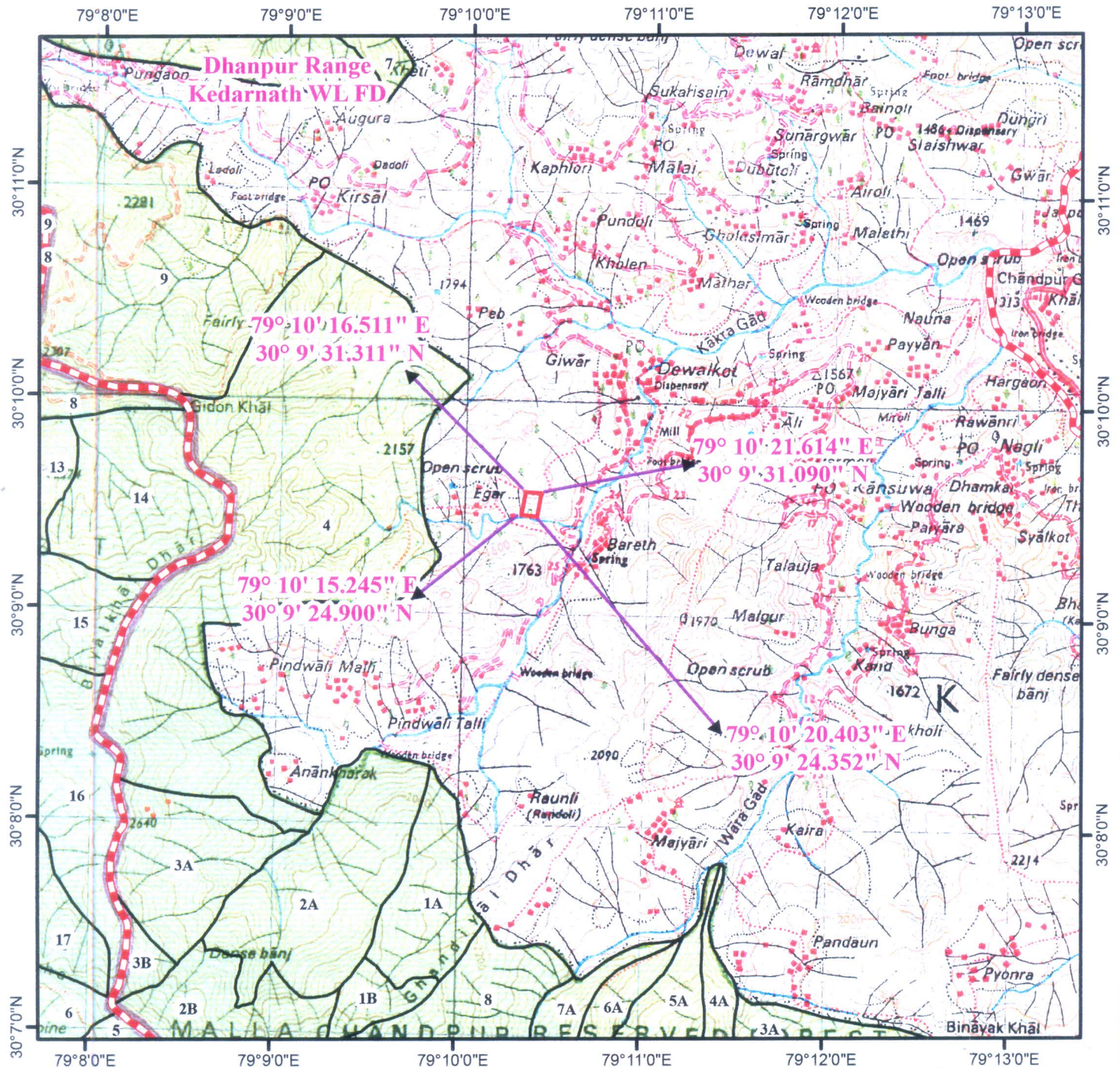
 Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar (Chamoli)

डिजिटल मैप – राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसल मोटर मार्ग मे खेत गधरे से खेती जखेट चौरासैण तक 1.410 है० वन पंचायत भूमि/सिविल वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पिण्डवाली सिविल सोयम क्षेत्र 2.820 है०

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/04



Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

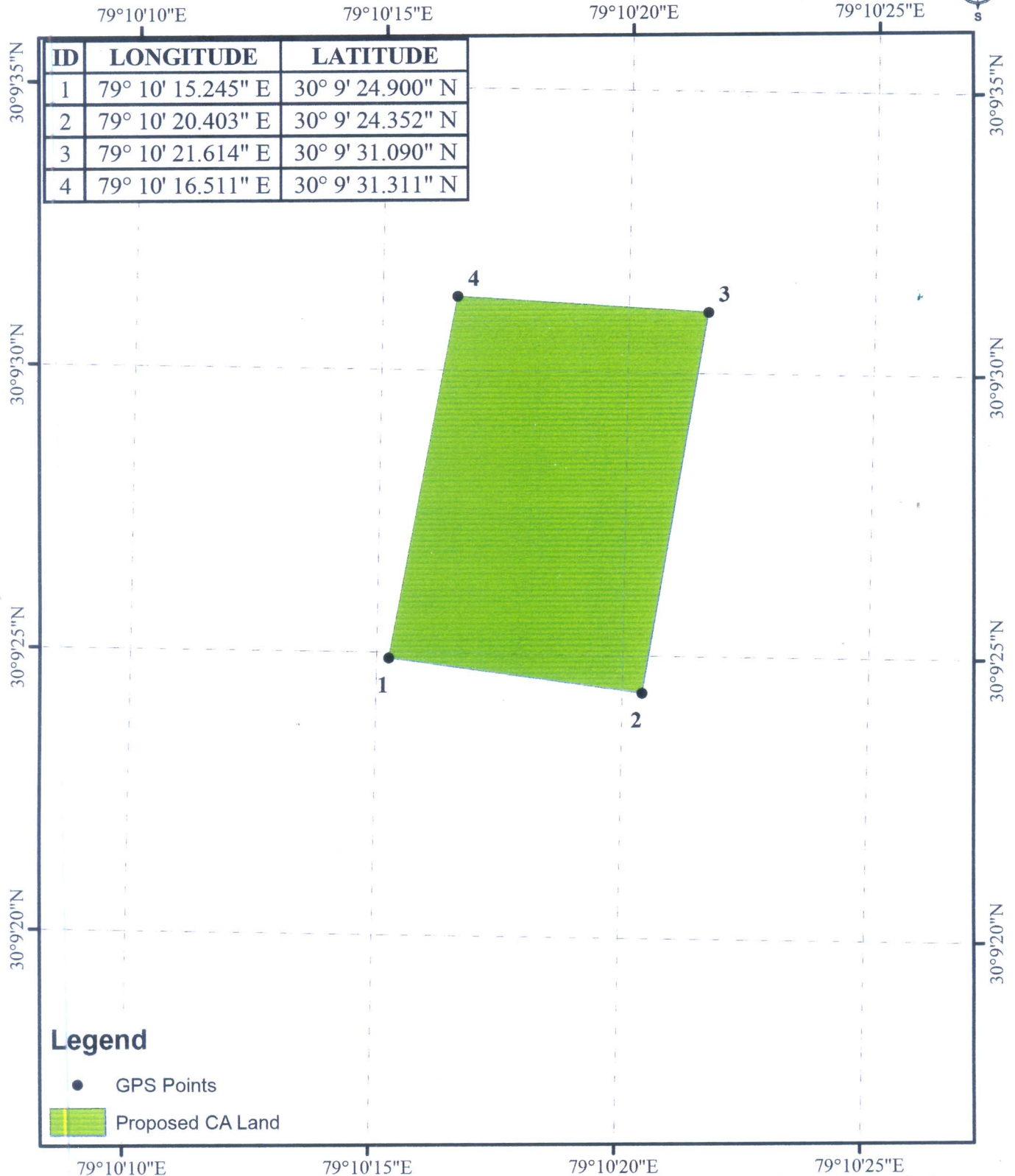
Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar Charriol

अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।
वन अन्तर्वाहिकरी
नन्दपुर वन क्षेत्र गौचर

जियो रेफरेंस मैप :- राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-किरसल मोटर मार्ग में खेत गंधेरे से खेती जखेट चौरासैण तक 1.410 है० वन पंचायत भूमि/सिविल वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल पिण्डवाली सिविल सोयम क्षेत्र 2.820 है०

0 25 50 100 M Scale- 1:3,000



Gmit
P.A.

Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar Charoli

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

वन अन्तर्धिकरी
जनपुर वन क्षेत्र गौचर

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।